FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम रामेश्वरलाल वगै0**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/24/2023** दा0दि0 **02.02.2023**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2023	आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी मदनलाल पुत्र बलदेव जाति वाल्मिकी हरिजन निवासी रामलाल की ढाणी निम्बाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 जरिये वकील ने निवेदन किया कि दिनाकं 21.01. 2023 को दो गाय जिनकी कीमत 45,000/– रू0 व 44,000/– थी। जिसमें एक गाय 18 ली0 दूध व एक गाय 16 ली0 दूध देती है व एक गाय के नीचे एक बछडी व एक गाय के नीचे बछडा है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गयी थी। जिन्हें रामेश्वरलाल वाहन संख्या आरजे 23 जीसी 1781 में लेकर निम्बाहेड़ी आ रहा था। रास्ते में बजरंग दल के कुछ लोग खडे थे, जिन्होंने प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा उक्त गाय–बछडो को गौकशी की होना बताकर मारपीट की और थाना खैरथल में झूठी सूचना देकर एक एफआईआर नं0 37/2023 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8 आरबीएक्ट थाना खैरथल पुलिस जिला भिवाडी में जप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त गाय दूध के लिए खरीदी थी। प्रार्थी द्वारा दूध डेयरी से आजीविका अर्जित की जाती है। अतः निवेदन है कि उक्त गायों, बछडा व बछडी को सुपुर्दनामा पर दिये जाने की कृपा करें। उक्त संबंध में थानाधिकारी थाना खैरथल से रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 678 दिनांक 12.02.2023 के माध्यम से रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुलजिमान द्वारा वक्त घटना गौवंश मदनलाल पुत्र बलदेव निवासी रामलाल की ढाणी निम्बाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर के होना नहीं बताया गया तथा उक्त गौवंश के रस्सीयों से पैर व	जिला कलक्टर, अलवर

मुंह बांधकर गौकशी के लिए परिवहन कर हरियाणा ले जाना बताया है। प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश महंत सीमा बाई गौशाला खैरथल में दाखिल है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश को आवेदक मदनलाल को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावें।

हमने पत्रावली का अलवोकन किया व बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी खैरथल वक्त घटना गौवंश प्रार्थी मदनलाल पुत्र बलदेव निवासी रामलाल की ढाणी निम्बाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर के होना नहीं बताया गया। उक्त गौवंश के रस्सीयों से पैर व मुंह बांधकर गौकशी के लिए परिवहन किया जाना अमानवीय कृत्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर जप्तशुदा उक्त गायों, बछडा व बछडी को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर